मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / लेखा / पेंशन / 1915 भोपाल, दिनांक 09/01 / 2017

प्रति,

संयुक्त संचालक / उपसंचालक,
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय..... (समस्त)

विषयः— सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण प्रेषित करने एवं अर्जित अवकाश नगदीकरण के भुगतान करने के संबंध में।

संदर्भः— कार्यालयीन पत्र क्रमांक / बोर्ड / पेंशन / 16—17 / 1686, दिनांक 05.12.2016

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसके द्वारा पेंशन तथा सेवानिवृत्त पर अवकाश नगदीकरण के निर्देश दिये गये थे। कतिपय पेंशन प्रकरणों में पाया गया है कि संभागीय कार्यालयों द्वारा राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण को मण्डी समिति से प्राप्त होने पर बिना परीक्षण किये बिना, मात्र कार्यालय से अग्रेषित किये जाने वाला पत्र संलग्न कर भेज दिया जाता है,जिसमें न्यूनतायें पाई जाने पर पत्राचार किया जाने से प्रकरण स्वीकृति में अनावश्यक विलंब होता है। फलस्वरूप पेंशनरों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाईन एवं अन्य माध्यमों में निराकरण के संबंध में शिकायतों की वृद्धि होती है।

अतएव पेंशन प्रकरण बोर्ड मुख्यालय स्वीकृति हेतु भेजे जाने के पूर्व निम्नानुसार पूर्तियां का अपने स्तर पर परीक्षण कराये जाने के उपरांत ही भेजा जावेः—

1— ऐसे समस्त प्रकरणों में जिनमें सहायक उपनिरीक्षकों, मण्डी निरीक्षकों तथा सचिव—स को समयमान वेतनमान स्वीकृत हुआ है, तत्पश्चात् समयमान वेतनमानर की लागू होने की तिथि में परिवर्तन के फलस्वरूप पुनरीक्षित नहीं किया है, पुनरीक्षित किया जावे तथा उपरोक्त समयमान पुनरीक्षण के वेतन निर्धारण का सत्यापन स्थानीय निधि संपरीक्षा से कराकर ही एरियर पेंशर आदि का प्रकरण तैयार करें।

2— यह सुनिश्चित किया जावे कि पेंशन / पेंशन पुनरीक्षित प्रकरण प्रेषित करने के पूर्व स्थानीय निधि संपरीक्षा से वेतन निर्धारण सत्यापन करा लिया है।

3— सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन स्वीकृत होने की अवधि तक 90 प्रतिशत अंतरिम पेंशन दी जाती है। परन्तु पेंशन प्रकरण भेजते समय अंतरिम पेंशन दिये जाने की जानकारी संलग्न कर नहीं भेजी जाती है,जिससे अन्तर की राशि का भुगतान समय पर नहीं होकर अनावश्यक रूप से बार—बार प्रकरण प्रस्तुत करना होता है। अतः पेंशन प्रकरण के साथ अंतरिम पेंशन की जानकारी आवश्यक रूप से भेजी जावें तथा पेंशन प्रदाय आदेश जारी होने पर भुगतान की गई राशि का विवरण 15 दिवस के अन्दर भेजना सुनिश्चित करें।

4— बोर्ड मुख्यालय के आदेश क्रमांक / बोर्ड / लेखा / पेंशन / 16—17 / 1686, दिनांक 05.12.2016 से पेंशनरों को अवकाश नगदीकरण का भुगतान बोर्ड मुख्यालय से किया जाना है। अतएव आदेश में अर्जित अवकाश की पात्रता एवं स्वीकृत राशि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रकरण के साथ संलग्न कर भिजवायें।

5— प्रकरण भेजते समय यह सुनिश्चित कर ले कि संबंधित के विरूद्ध विभागीय जांच / न्यायालयीन प्रकरण लंबित / संस्थित तो नहीं है। यदि विभागीय जांच अथवा न्यायालयीन प्रकरण लंबित / संस्थित है तो ऐसे प्रकरण मुख्यालय को प्रेषित नहीं किये जावें। ऐसे प्रकरणों में अपने स्तर से अंतरिम पेंशन स्वीकृत कर भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें। ऐसे प्रकरणों की जानकारी मुख्यालय को भेजें। विभागीय जांच / न्यायालयीन प्रकरण समाप्त होने के पश्चात् ही पेंशन प्रकरण मुख्यालय को प्रेषित किये जावें।

6– जी0पी0ओ0 / पी0पी0ओ0 रजिस्टर में लगाये जाने हेतु पेंशनर / परिवार पेंशनर का एक अतिरिक्त पासपोर्ट साईज का फोटो पेंशन प्रकरण के साथ अनिवार्य रूप से भेजें।

7– राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के ऐसे अधिकारी / कर्मचारी जो बोर्ड मुख्यालय, आंचलिक कार्यालय, तकनीकी कार्यालय में तथा मण्डी समितियों में पदस्थ है एवं सेवानिवृत्त हो रहे है के अवकाश नगदीकरण का भुगतान बोर्ड मुख्यालय स्तर पर संधारित आरक्षित निधि से किये जाने हेतु निर्देश सदर्भित पत्र द्वारा जारी किये गये है। निर्देशों के बिन्दु कमांक–5 (क) अनुसार राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के ऐसे कर्मचारी जिनका पेंशन प्रकरण निराकरण हो चुका है, मात्र अवकाश नगदीकरण का प्रकरण लंबित है उसको दिनांक 31.12.2016 तक सक्षम स्वीकृति दी जाकर भुगतान हेतु मण्डी बोर्ड मुख्यालय को भेजने के निर्देश जारी किये गये थे। किन्तु वर्तमान तक ऐसे अवकाश नगदीकरण के लंबित प्रकरण मुख्यालय को प्राप्त नहीं हुए है। उक्त संबंध में लंबित अवकाश नगदीकरणों के प्रकरणों का मण्डीवार सूचीं वांछित थी, वह भी अप्राप्त है। स्पष्टता इन निर्देशों के पालन में गम्भीरता नहीं बरती है। अंतिम रूप से लंबित प्रकरणों की सूची तथा प्रकरणों का निराकरण 15.01.2017 तक करा लिया जावे।

समय–सीमा के पश्चात् प्राप्त प्रकरणों में कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा निराकरण नहीं होने के लिए संभागीय अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित होगा।

अतः उपरोक्तानुसार अवकाश नगदीकरण के लंबित प्रकरण एकजाई रूप से तैयार कर 07 दिवस में बोर्ड मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। दिनांक 15.01.2017 तक लंबित प्रकरण प्राप्त नहीं होने पर संभागान्तर्गत कोई भी प्रकरण शेष नहीं है माना जावेगा। भविष्य में प्रकरण प्रकाश में आने पर उनके भुगतान कराये जाने की कार्यवाही हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगें।

अपर संचालक(वित्त)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / लेखा / पेंशन / 1916 भोपाल, दिनांक 09 / 01 / 2017

प्रतिलिपिः–

संयुक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा.....की ओर भेजकर लेख है कि राज्य मण्डी बोर्ड सेवा एवं मण्डी समिति सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनमान, समयमान / क्रमोन्नति / पदोन्नति / संशोधित वेतन निर्धारण का सत्यापन तत्काल किये जाने हेतु कृपया अपने अधिनस्थों को निर्देश देने का कष्ट करें।

अपर संचालक(वित्त)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल